<u>न्यायालय :– सत्र न्यायाधीश, कासगंज।</u>

उपस्थितः– दिवेश चन्द्र सामंत ———एच0जे0एस0

<u>सत्र परीक्षण संख्या–521/2021</u>

राज्य बनाम सिद्धार्थ।
अपराध संख्या–334/2018
धारा–394, 412 भारतीय दंण्ड संहिता
थाना–अमॉपुर, जिला कासगंज

<u>आरोप</u>

मैं, दिवेश चन्द्र सामंत, सत्र न्यायाधीश, कासगंज एतद्द्वारा आप अभियुक्त सिद्धार्थ को निम्न आरोप से आरोपित करता हूॅ–

1– यह कि दिनांक 06–11–2018 को समय 04.30 बजे स्थान बम्वा पटरी बहद ग्राम जसूपुरा थाना अमॉपुर जिला कासगंज में आपने एक अन्य सहअभियुक्त के साथ मिलकर वादी आर्येन्द्र सिंह सोलंकी से उसका बैग जिसमें 70,000/– रूपये, कपडे, डॉक्यूमेन्ट फाइल, बैंक पास बुक, ए0 टी0 एम, पोस्ट ऑफिस पास बुक, पी0 पी0 एफ0 पास बुक, विद्यालय के चैक बुक आदि सामान था, लूट कर ले गये। इस प्रकार आपने ऐसा कार्य किया है जो भारतीय दंण्ड संहिता की धारा 394 के अर्न्तगत दण्डनीय है और इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

2– यह कि दिनांक 10–12–2018 को समय अदम फर्द स्थान घर आप अभियुक्त बहद ग्राम खुशहालपुर थाना अमॉपुर जिला कासगंज में बक्से में रखे आपके कब्जे से एस0 आई0 ए0 के0 सिंह व उनकी पुलिस पार्टी द्वारा 1500/– रूपये नकद, एक टार्च तथा एक पावर बैंक बरामद किया गया, जिसके बारे में आप जानते थे कि यह चुराई गयी सम्पत्ति है और बेईमानी से अपने पास रखे हुये थे। इस प्रकार आपने ऐसा अपराध किया जो भारतीय दंण्ड संहिता की धारा 412 के अन्तर्गत दण्डनीय है और इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

एतद्द्वारा आपको निर्देशित किया जाता है कि उक्त आरोप के लिए आपका विचारण इस न्यायालय द्वारा किया जावेगा।

(दिवेश चन्द्र सामंत)
सत्र न्यायाधीश,
कासगंज।

<u>दिनॉकः–07–05–2022</u>

आरोप ,अभियुक्त को पढकर सुनाया व समझाया गया। अभियुक्त ने आरोप से इंकार किया तथा विचारण की मॉग की।

(दिवेश चन्द्र सामंत),
सत्र न्यायाधीश,
कासगंज।

<u>दिनॉकः–07–05–2022</u>

Digitally signed by DIVESH CHANDRA SAMANT
Date: 2022.05.07 17:56:07 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

सत्र परीक्षण संख्या–521/2021
राज्य बनाम सिद्धार्थ।

07–05–2022

अभियुक्त सिद्धार्थ जेरे जमानत उपस्थित आया। विद्वान अधिवक्ता अभियोजन पक्ष ने अपना केस प्रस्तुत किया तथा आरोप विरचन के विन्दु पर पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य की ओर न्यायालय का ध्यान आकर्षित करते हुए कहा कि पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य, केस डायरी एवं अन्य अभिलेखों से अभियुक्त के विरूद्ध प्रथम दृष्टया मामला आरोप विरचित किये जाने हेतु बनता है।

अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता को आरोप के विन्दु पर सुना गया

उभय पक्ष के तर्को को सुनने एवं पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य के परिप्रेक्ष्य में अभियुक्त सिद्धार्थ के विरूद्ध धारा 394, 412 भारतीय दंण्ड संहिता का आरोप विरचित किये जाने हेतु आधार पर्याप्त है। अतः अभियुक्त सिद्धार्थ के विरूद्ध आरोप अर्न्तगत धारा 394, 411 भारतीय दंण्ड संहिता विरचित किया गया।

वादी मुकदमा आर्येन्द्र सिंह सोलंकी साक्ष्य हेतु तलब हो। पत्रावली वास्ते साक्ष्य दिनांक .....को पेश हो। सहअभियुत अरविन्द के विरूद्ध प्रचलित विवेचना की अद्यतन स्थिति अभियोजन स्पष्ट करे।

सत्र न्यायाधीश,
कासगंज।
07–05–2022